

**OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION DURG (C.G.)**

**N.I.T.**

**Supply of LED Fittings at Municipal corporation Areas**

S. No	DESCRIPTION	No.	Make	RATE	AMOUNT
1	Supply & fixing led decorative street light 24 w fittings with decorative bracket <ul style="list-style-type: none"> <li>• High enegy &amp; reduced carbon foot print power factor &gt; 0.95</li> <li>• Good street lighting optics with high power high efficacy led's (grater than 100 lumens per power watt)</li> <li>• IP rating IP 66</li> <li>• Compact luminaries 80% lumen maintainance at 50000 burning hours insuring maintance free long service life power efficiency</li> <li>• eco frandly salution with no mercury contaent</li> <li>• Input voltage 140-270 VAC</li> </ul> with 02 years replacement gaurantee 10% deduct for gaurantee period	Each			
		Each	Bajaj		
		Each	Havels		
		Each	Philips		
2	Supply & fixing led decorative street light 50 w fittings with decorative bracket <ul style="list-style-type: none"> <li>• High enegy &amp; reduced carbon foot print power factor &gt; 0.95</li> <li>• Good street lighting optics with high power high efficacy led's (grater than 100 lumens per power watt)</li> <li>• IP rating IP 66</li> <li>• Compact luminaries 80% lumen maintainance at 50000 burning hours insuring maintance free long service life power efficiency</li> <li>• eco frandly salution with no mercury contaent</li> <li>• Input voltage 140-270 VAC</li> </ul> with 02 years replacement gaurantee 10% deduct for gaurantee period	Each			
		Each	Bajaj		
		Each	Havels		
		Each	Philips		

कार्यालय विद्युत विभाग नगर पालिक निगम, दुर्ग

उर्जा इफिसियेन्ट एल.ई.डी. फ्लड लाईट प्रदाय हेतु  
नियम व शर्तें

1. प्रत्येक निविदाकर्ता/फर्म को स्वयं निर्माता कंपनी अथवा अधिकृत डीलर होना आवश्यक है निविदा के साथ उक्ताशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता/फर्म के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता का तथा NIT में दर्शित कम्पनी का ही होना चाहिये।
3. निविदाकर्ता उन्ही कंपनी की दरें प्रस्तुत कर सकते हैं जिनकी वैध डीलरशिप उनके पास है।
4. निविदाकर्ता को उर्जा इफिसियेन्ट एल.ई.डी. फ्लड लाईट प्रदाय करना होगा एवं आगामी दो वर्षों तक उसकी गारंटी देनी होगी जिसके एवज में दो वर्षों हेतु देयक की 10 % राशि रोकी जावेगी जो निर्धारित अवधि उपरांत मुक्त कर दी जावेगी।
5. सशर्त निविदाये स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदाकार केन्द्रीय शासन के उपक्रम अथवा राज्य शासन के उपक्रमों यथा रेल्वे, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, छ.ग. गृह निर्माण, छ.ग. विद्युत वितरण कम्प. में वैध अ-2 अथवा इससे उपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार होना अनिवार्य है।
7. वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है।
8. भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 1 (4) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत राशि देयको से काटी जावेगी।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति दुर्ग न्यायालय वाद का क्षेत्र होगा।
10. निविदा को बगैर कोई कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।
11. निविदाकर्ता का पूर्व वित्तीय वर्ष का टर्न ओव्हर कम से कम रु 50.00 लाख का होना चाहिए।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम, दुर्ग